लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4427
30 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

हथकरघा उद्योग को सुदृढ़ करना

4427: श्री एम. बदरुद्दीन अजमल:

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हथकरघा उद्योग को अपर्याप्त प्रक्रिया, आपूर्ति श्रृंखला, बिक्री समर्थन की कमी तथा तैयार माल के लिए उचित ब्रांडिंग न होने के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या खुले बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव बुनकरों के लाभ अंश को खत्म कर देता है क्योंकि 60% से अधिक बिक्री स्थानीय बाजारों में ही होती है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा वर्तमान वर्ष सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत में हथकरघा उद्योग को सुदृढ़ करने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान हथकरघा उद्योग के सुदृढ़ीकरण और प्रोत्साहन के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और आवंटित/उपयोग की गई निधि का वर्ष-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्रीमती दर्शना जरदोश)

(क) से (घ): हथकरघा क्षेत्र की सहायता करने और हथकरघा बुनकरों के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए, वस्त्र मंत्रालय पूरे देश में निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:

1. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम;
2. कच्चा माल आपूर्ति योजना;

उपरोक्त योजनाओं के तहत पात्र हथकरघा एजेंसियों/बुनकरों को कच्चे माल, सामान्य अवसंरचना विकास, घरेलू/विदेशी बाजारों में हथकरघा उत्पादों की मार्केटिंग, बुनकर मुद्रा ऋण आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

हथकरघा की कीमतें बाजार संचालित होती हैं, और इसलिए कीमतों में उतार-चढ़ाव बुनकरों के लाभ मार्जिन में परिलक्षित होता है। सरकार का प्रयास घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, भौतिक और वर्चुअल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है ताकि आउटरीच में सुधार हो और हथकरघा उत्पादों की बिक्री में वृद्धि हो सके।

सरकार कच्चे माल की आपूर्ति योजना के माध्यम से बुनकरों के लाभ मार्जिन को बढ़ाने का भी प्रयास करता है, सभी प्रकार के यार्न के परिवहन पर माल ढुलाई प्रतिपूर्ति प्रदान करता है, और कॉटन हैंक यार्न, घरेलू सिल्क, ऊनी और लिनन यार्न और प्राकृतिक फाइबर के मिश्रित धागे पर मात्रात्मक प्रतिबंधों के साथ 15% मूल्य सब्सिडी प्रदान करता है। यह योजना खुले बाजार में यार्न की बेंचमार्क कीमत और गुणवत्ता निर्धारित करने का भी प्रयास करती है ताकि कीमतें उचित सीमा के भीतर रहें और बाजार में लगातार आपूर्ति और गुणवत्ता मानकों को बनाए रखा जाए, इस प्रकार बिचौलियों द्वारा मुनाफाखोरी को रोकने में मदद मिलती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त,

- हथकरघा ग्राहकों को सीधे तौर पर उत्पाद बेचने में सहायता करने के लिए, मार्केटिंग एक्सपो और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह बिचौलियों को कम करने में मदद करता है, जिसके कारण कीमतों में उतार-चढ़ाव रूक जाता है और हथकरघा बुनकरों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, बुनकरों के लिए इनपुट लागत को कम करने के लिए, कतिपय प्रकार के यार्न पर 15% की मूल्य सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- बुनकर मुद्रा/रियायती ऋण योजना के तहत, व्यक्तिगत बुनकर/बुनकर उद्यमी को ऋण राशि के 20% पर, अधिकतम 25,000/- रुपये की शर्त के अध्यधीन मार्जिन मनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है तथा हथकरघा संगठनों के लिए 20 लाख रूपये, 7% तक ब्याज छूट और तीन साल की अवधि के लिए ऋणों पर क्रेडिट गारंटी शुल्क प्रदान किया जाता है।
- बुनकरों और कारीगरों को सरकारी ई-मार्केट प्लेस पर ऑन बोर्ड करने संबंधी कदम उठाये गये हैं ताकि वे अपने उत्पाद सीधे विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों को बेचने में सक्षम हो सकें। अब तक लगभग 1.5 लाख बुनकरों को जेम (GeM) पोर्टल पर ऑनबॉर्ड किया जा चुका है।
- बुनकरों को अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचने की सुविधा दी जाती है और वस्त्र मंत्रालय द्वारा 23 ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों को नीतिगत ढांचे के तहत एक साथ जोड़ा गया है।
- हथकरघा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद अंतरराष्ट्रीय मेलों का आयोजन कर रहा है। 2021-22 के दौरान विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग मेलों/इवेंट्स का आयोजन किया है।
- उत्पादकता, मार्केटिंग क्षमताओं को बढ़ाने और बेहतर आय सुनिश्चित करने हेतु, विभिन्न राज्यों में 135 हथकरघा उत्पादक कंपनियों का गठन किया गया है।
- उच्च गुणवत्ता वाले हथकरघा उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए 'इंडिया हैंडलूम' ब्रांड (आईएचबी) की शुरूआत की गई है। आईएचबी का मुख्य उद्देश्य उच्च गुणवत्ता, शून्य दोषों के साथ प्रामाणिक डिजाइन और पर्यावरण पर शून्य प्रभाव वाले विशिष्ट हथकरघा उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देना है।
- बुनकर सेवा केंद्रों दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, अहमदाबाद, जयपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी और कांचीपुरम में डिजाइन रिसोर्स सेंटर स्थापित किए गए हैं, ताकि हथकरघा क्षेत्र में डिजाइन-उन्मुख उत्कृष्टता के सृजन तथा निर्माण और बुनकरों, निर्यातकों, निर्माताओं तथा डिजाइनरों को नमूना/उत्पाद सुधार और विकास के लिए डिजाइन कोषों के लाभ की सुविधा मिल सके।

हथकरघा क्षेत्र में चालू वर्ष सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान आवंटित/उपयोग की गई योजना-वार और वर्ष-वार निधियां निम्नानुसार है:

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आवंटित/उपयोग की गई योजना-वार और वर्ष-वार निधियां

(करोड़ रू. में)

क्र. सं.	**योजनाओं का नाम**	**2017-18**		**2018-19**		**2019-20**		**2020-21**		**2021-22 (22.03.2022 तक)**	
		आबंटित	उपयोग की गई*	आबंटित	उपयोग की गई*	आबंटित	उपयोग की गई*	आबंटित	उपयोग की गई*	आबंटित	उपयोग की गई*
1	राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (राजस्व)	184.74	182.87	142.08	113.82	166.71	149.14	161.49	159.53	165.50	152.48
2	कच्चा माल आपूर्ति योजना	200	199.84	155.41	126.84	165.21	142.21	70.00	60.32	105.00	86.34
	कुल	**384.74**	**382.71**	**297.49**	**240.66**	**331.92**	**291.35**	**231.49**	**219.85**	**270.5**	**238.82**

*उपयोग की गई / जारी की गई धनराशि राज्य सरकारों और अन्य हथकरघा संगठनों से प्रस्तावों की प्राप्ति, और पहले जारी की गई निधियों के उपयोग आदि पर आधारित है।

****